

## **BRAWN**



CIN NO.: L74899DL1985PLC022468

30th May, 2022

BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai -400001

> BSE Scrip Code: 530207 Scrip ID: BRAWN

<u>Subject: Intimation of Publication of Audited Financial Results pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Mam,

Please find enclosed copy of Newspaper Advertisement of Audited Financial Results for the quarter (Q4) and year ended on 31st March, 2022 published in:

- A. Business Standard dated 26th May, 2022 (English)
- B. Business Standard dated 26th May, 2022 (Hindi)

This is for your information.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Brawn Biotech Limited

Priyanka Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

**BRAWN BIOTECH LTD.** 

(Formerly Known as Brawn Pharmaceuticals Ltd.)

Regd. Office: C-64, Laipat Nagar-1, New Delhi-110024, INDIA Tel: 01129815331

Email: solution@brawnbiotech.com, Website: www.brawnbiotech.com

Corporate Office: Plot No. - 30, Sector - 33, Near Hero Honda Factory, Gurugram - 122001, Haryana , INDIA Tel: 0124-4666152, 4222462 Email: solution@brawnbiotech.com, Website: www.brawnbiotech.com

...for better life

# BRAWN BIOTECH LIMITED

REGD. OFFICE: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi 110024

Extract of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2022 (Rs. In Lacs)

		Standalone			
SI.	Particulars Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	
No.	i di doddais	31.03-2022	31-03-2022	31-03-2021	
		Audited	Audited	Audited	
1	Total income from operation	279.88	862.42	3,528.48	
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	63.00	(164.44)	(55.06)	
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	63.00	(164.44)	(55.06)	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss)	64.75	(157.48)	(46.62)	
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]				
5	Equity Share Capital	300.03	300.03	300.03	
6	Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the balance	-	-	-	
	sheet of previos year				
7	Earning per share (before extraordinary items)(not annualised):				
	(of rs. 10 each)	-	-	-	
	(a) Basic (Rs.)	2.16	(5.25)	(1.55)	
	(b) Diluted (Rs.)	2.16	(5.25)	(1.55)	
8	Earning per share (after extraordinary items)(not annualised):				
	(of rs. 10 each)				
	(a) Basic (Rs.)	2.16	(5.25)	(1.55)	
	(b) Diluted (Rs.)	2.16	(5.25)	(1.55)	
NOTES:					

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with the Stock Exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available o the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.brawnbiotech.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25-05-2022. The Financials has been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ins-AS) to the exten applicable. The Company has for the first time adopted IND-AS beginning 01st April 2017 with transition date of 01st April, 2016.
- The Company is engaged primarily in the business of Pharmaceuticals. Accordingly, there is no separate reportable segments as per Ind-AS 108 dealing with Operating Segments.
- Figures for the quarter ended 31st March 2022 are the differences between the figures for the year ended 31st March 2022 and Nin
- Previous year/period figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary to make them comparable with the current perio

Brij Raj Gupta Director DIN NO. 00974969

### **SUMMIT SECURITIES LIMITED**

Registered Office: 213, Bezzola Complex, B Wing, 71, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai 400 071 India. Tel: 022-25292152; Fax No: +91-22-2529742

Website: www.summitsecurities.net; Email: investors@summitsecurities.net, compliance@summitsecurities.net

<b>Extract of Audited Consolidated</b>	<b>Financial Res</b>	sults for t	the quarter	and
year ended	March 31, 20	)22 <sub>(5</sub>	e in Lakhe evce	nt EDS

(rior in Estate except El e)					
Sr.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
No.	i articulars	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022
		(Refer note 3)	(Refer note 3)		
1	Total Income	721.90	862.61	7,499.85	2,902.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax	357.13	766.61	7,111.09	2,587.74
	Exceptional and/or Extraordinary items)				
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	357.13	766.61	7,111.09	2,587.74
	(after Exceptional and/or Extraordinary items))				
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	265.14	545.77	5,083.09	1,829.87
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
5	Total Comprehensive Income for the period	(1,37,845.65)	90,823.96	(45,461.46)	2,63,638.23
	[Comprising profit for the period (after tax) and other				
	comprehensive income (after tax)]				
6	Equity Share Capital(Face value Rs. 10 per share)	1,090.18	1,090.18	1,090.18	1,090.18
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in			4,47,083.40	4,92,544.84
	the Audited Balance Sheet of the previous year				
8	Earnings per equity share (₹) (not annualised) :				
	(i) Basic EPS	2.43	5.01	46.63	16.79
	(ii) Diluted EPS	2.43	5.01	46.63	16.79
Note:					

) The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on May 25, 2022. The Statutory Auditors of the Company have conduct the year ended March 31, 2022.

- 2) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the exter
- of full financial year and the unaudited year to date figures upto the end of the third quarter published, which were subject to limite review by the Statutory Auditors. eview by the Station y Adultors.

  The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The
- full format of the Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2022 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>, www.bseindia.com</a> and also on the Company's website <a href="https://www.busindia.com">www.bseindia.com</a> and also on the Company's website <a href="https://www.busindia.com">www.busindia.com</a> and also on the Company's website <a href="https://www.busindia (Rs. in Lakhs except EPS)

Particulars	Quarte	Quarter ended		Year ended	
T articulars	31.03.2022 (Refer note 3)	31.03.2021 (Refer note 3)	31.03.2022	31.03.2022	
Total Income	399.85	481.56	3,048.56	1,508.00	
Profit before Tax	259.71	415.94	2,782.03	1,291.43	
Profit after Tax	194.88	298.50	1,983.43	866.39	
	For Summit Securities Limi			ities Limited	

Place: Mumbai



Date : May 25, 2022

#### **MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED**

Registered Office: Mahindra Towers, 2<sup>nd</sup> Floor, No. 17/18, Patullos Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, **Tel. No.**: 044 3504 1000 **Fax:** 044 3504 7778 CIN: L55101TN1996PLC036595; Website: www.clubmahindra.com Email id: investors@mahindraholidays.com

#### NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), as amended, the Equity Shares in respect of which dividend has remained unclaimed o unpaid for seven consecutive years or more shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund ("IEPF") account. However, where there is a specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are pledged o hypothecated under the provisions of the Depositories Act. 1996, the Company shall not transfer such

Adhering to the various requirements set out in the IEPF Rules, individual communication has been sent to the concerned shareholders whose Ordinary (Equity) shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of such Shareholders including names, Folio number or DP ID & Client ID and shares due for transfer to IEPF on its website. Shareholders concerned are requested to refer to the web-link https://www.clubmahindra.com/corporate-governance/investor-information to verify the details of un-encashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF

Kindly note that all future benefit, dividend arising on such shares would also be credited to IEPF. Shareholders may also note that both unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the IEPF Rules

The concerned Shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them. After issue of duplicate share certificate(s), the Company by way of Corporate Action will convert duplicate share certificate(s), into DEMAT form and transfer the shares to IEPF as per the IEPF Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant

to the IEPF Rules. In case of share(s) held in dematerialised form, the Company shall inform the depository by way of Corporate Action, where the Shareholder(s) have their accounts for transfer in favour of IEPF Authority. Please note that the due date for claiming dividend for Financial Year 2014-15 is August 27, 2022. All concerned Shareholder(s) are requested to make an application to the Company / the Company's Registrar

and Transfer Agent preferably by July 31, 2022 with a request for claiming un-encashed or unclaimed

dividend for the Financial Year 2014-15 and onwards to enable processing of claims before the due date. In case no valid claim in respect of equity shares is received from the Shareholders, by due date or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules, transfer the shares to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and

equity shares transferred to the IEPF. In case the Shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at KFin Technologies Limited, Unit: Mahindra Holidays & Resorts India Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll

Free No.: 1800-309-4001. Email: einward.ris@kfintech.com. Website: www.kfintech.com

Place: Mumbai Date: May 25, 2022 For MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED Dhanraj Mulki General Counsel & Company Secretary

# Power Min announces special scheme to clear discoms' dues

₹crore

Note: PowerMin press statement mentions dues to be ₹1 trillion and late-payment surcharge at ₹6,839 crore

New Delhi, 25 May

**▼**or the second time in **⋠** two years, the Union Ministry of Power has notified a scheme for power distribution companies (discoms) to defer their dues to power generating companies (gencos). With dues of discoms touching a record high of ₹1 trillion, the ministry has proposed a scheme to liquidate discoms' dues.

The proposed scheme will enable discoms to pay their dues over 48 instalments, stated a notification by the ministry. It has also proposed to provide a one-time relaxation to all discoms, wherein the amount outstanding, including the principal and late payment surcharge (LPSC) on the date of notification of the scheme, will be frozen.

LPSC is levied on discoms when they do not pay their monthly dues within a stipulated period of 90 days. The cumulative LPSC of all discoms stands at ₹6.839 crore.

'The liquidation of outstanding dues in a deferred manner without the imposi-

tion of LPSC will give discoms time to shore up their finances. At the same time, 48 months. gencos will benefit from "The savings by discoms assured monthly payments, which otherwise were not

statement. It, however, said if discoms delay the instalment payment, LPSC would be charged on the entire outstanding dues.

forthcoming to them," the

ministry said in a public

**DUES TO UTILITIES** 

Central

State

Source: PRAAPTI Portal

Transcos 2,209

IPP= Independent power producers/privately owned units; transcos= transmission compan

30,135

45,651

Under the new scheme, the power ministry claims that discoms will save ₹19,833 crore on LPSC in the next 12-

will ultimately benefit the electricity consumer by reducing the burden of LPSC in the retail tariff. The measure is expected to provide timely liquidation of arrears to gencos. At the same time, it is being ensured that discoms pay their dues to gencos on a regular basis. Otherwise supply by gencos will be reduced," said the ministry in

its notification.

Dues of state-owned discoms to gencos are on the rise at a time when the country battles a coal and power shortage crises. Business Standard recently reported. The lion's share of dues is to privately owned or independent power producers (IPPs), while renewable power units continue to see an increase in

The dues to central government gencos, which are primarily NTPC, NHPC,

nessed an increase of 25 per

According to the government data, Tamil Nadu is the biggest defaulter, with ₹20,842 crore dues to gencos. It is followed by Maharashtra, with ₹18,000-crore dues, and Uttar Pradesh, with ₹9,000

This is despite an incentive scheme announced in 2020 to assist discoms to clear their dues. In June 2020, the dues of discoms touched a record high of ₹1.3 trillion. The same month, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a special liquidity infusion scheme for the same.

The ₹90,000-crore loan scheme helped discoms clear their dues to gencos and transmission companies. However, the scheme had limited impact. After reducing minimally in March 2021, the dues started rising again June onwards as demand for power increased during the last summer months. While the scheme ensured timely payment to central government gencos, IPPs continue to face delayed payments.

**AT WEF** 

sectors

BARUN JHA

Davos, 25 May

India joins coalition to

decarbonise

India has joined the First

Movers Coalition, a global

initiative aimed at decarbon-

ising the heavy industry and

long-distance transport sec-

tors responsible for 30 per

cent of global emissions, US

Special Presidential Envoy

for Climate John Kerry

announced on Wednesday.

President Joe Biden and the

WEF at COP26 as a flagship

public-private partnership to

clean up the most carbonintensive sectors, also saw 50

new corporate members with

collective market cap of \$8.5

Italy, Japan, Norway, Singa-

pore, Sweden and the United

Kingdom have also joined the

IS as government partners

to create early markets for

clean technologies through

policy measures and private

sector engagements. India,

along with Japan and Swe-

den, has also joined the steering board of the coalition.

Kerry made the announce-

ment alongside Bill Gates,

founder, Breakthrough Ene-

rgy, at a press briefing hosted

by the World Economic

**Can explore markets** 

chain hurdles: Birla

Ukraine conflict put pressure

on supply chains globally, top

industrialist Kumar Mangalam

Birla on Wednesday said some

addressed by exploring other

globalisation is here to stay.

leading normal life and my

clear view is that we should

not think about any way away

gh," Birla said during a session at the World Economic Forum

from globalisation. There can

be some optionalities thou-

Annual Meeting 2022.

to meet supply

As the pandemic and the

of these concerns can be

"India is almost back to

source countries but

Forum here.

Besides India, Denmark

trillion joining the force.

by

Launched


# Irdai sets up committees to suggest industry overhaul

NIKUNJ OHRI New Delhi, 25 May

To overhaul the insurance sector, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) has formed various committees through the General Insurance Council (GIC) to suggest reforms in several areas of general, reinsurance and life insurance such as regulation, product, distribution, among others.

These panels include heads of private and public sector insurance companies, members of Irdai and representatives from the GIC, said an official. GIC was formed by Irdai to act as a link between the insurance regulator and the non-life insurance industry, and has representation from the industry. About five committees each have been formed to suggest changes in the general insurance business, non-life insurance space, and two panels will look into the reinsurance segment.

These panels have been formed to look into areas of regulation, products, distribution, finance, health, finance, taxation, ease of doing business, among others. The industry representatives have also been asked to highlight the issues they have been facing and suggest steps that can be taken, said another official. Some recommendations have already been submitted to the



### **GIC REVAMP** ■ The General Insurance

Council (GIC), constituted

for the industry.

insurance regulator, he added.

The committees were constituted

after the new Irdai Chairman Debasish Panda held an interaction with insur-

ance industry players last month. It was

decided that areas such as reducing

compliance burden for the industry,

rationalising investment norms, among

others will be reviewed. An enabling

framework for entry of more globa

players in the industry will also be iden-

tified, among some of the other reforms

that will put sanctity in the acceptance

The panels have IRDAI members

under Section 64C of the Insurance Act, 1938 by IRDAL is set to see a revamp

change its compensation structure to attract candidates from the private sector for the position of

■ The GIC is trying to

secretary general, which was earlier held by former heads of public sector insurance companies

Loknath Kar, who has been helping with the drafting of reports, is touted to be a front runner for the postition

of the recommendations of these committees, the first official quoted above

These panels would suggest changes that can be made in regulations and legislation which would be considered by Irdai and the Department of Financial

These committees have also roped Loknath Kar who was the former legal head of ICICI Lombard and PwC to draft the reports. This is the first time that private sector hands have been entrusted with such a task, the official quoted above said.

# Bank of Maharashtra dips into net worth to pay govt dividend

**ABHIJIT LELE & SUBRATA PANDA** Mumbai, 25 May

sive, the board of Bank of Maharashtra (BoM) has recommended a five per cent dividend or ₹337 crore, for the financial year ending March 31, 2022. Bank officials said the dividend is being paid out of net worth. The revised net worth will be ₹10,175 crore, down from ₹10.512 crore. The dividend payout will make a small dent in the capital adequacy ratio (CAR) to 16.48 per

BoM stock closed 3.73 per cent lower at ₹15.5 per share on the BSE. It touched 52-low of ₹15 per share in intra-day trad-

cent from 16.85 per cent,

Bank of Maharashtra, which finalised its balance sheet for FY22 in April, decided to call a board meeting to consider dividend and approve revised financial statement for



the year ended March 31, 2022. The revision in audited results of the Pune-based lender will not change the net profit for FY22.

The bank's net profit doubled to ₹1,151.54 crore, as according to a filing with the against ₹550.25 crore in 2020-21. The board had not recommended dividend when it met in April 2022 to approve results for FY22.

The bank paid a dividend of eight per cent in FY15 when it posted a net profit of ₹450.69

Another public sector lender Bank of Baroda will revise the recommended dividend and its board is meeting on May 31, to decide the quantum. Earlier, its board had recommended a dividend at ₹1.2 per equity share (face value ₹2 each) for FY22.

Kolkata-based UCO Bank had planned a board meeting on May 19 to consider a dividend proposal. But it could not go ahead since the bank had not yet received the requisite regulatory approval for declaration of dividend.

According to BS Research Bureau's assessment, eight out of 12 public sector banks (PSBs) have recommended a dividend amounting to ₹11,981 crore for

FY22. All the 12 reported net profit this year.

In FY21, only two PSBs — State Bank of India (SBI) and Indian Bank — had declared dividends with outgo amounting ₹3,796 crore.

Krishnan Sitaraman, senior director and deputy chief ratings officer, CRISIL Ratings, said the profitability of PSBs has substantially improved in FY22 vis-à-vis FY21 levels, leading most of them to announce dividends.

This is what is normally followed by the corporate world in a business-as-usual situa-

Also the fact that all PSBs have a cushion over regulatory Tier 1 capital adequacy requirements of at least 100 bps makes them well placed to pay out dividends from their profits, he added. The board of Life Insurance Corporation (LIC) will meet on May 30 to approve the results for the quarter and vear ended March 2021, and to pay a dividend.

### Hope sanity returns soonest to supply chains: Mittal

Supply Chain disruptions have made the world a difficult place when it comes to ensuring complete internet connectivity, Bharti Enterprises Chairman Sunil Bharti Mittal said on Wednesday. "We didn't imagine there would be so much supply chain disruptions... Some businesses have moved on, but at a much higher cost. I hope we bring sanity back to the supply chains at the soonest," Mittal said.

# Gift City gold imports: Jewellers can make advance payment

The Reserve Bank of India (RBI) has allowed qualified jewellers, as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA), to remit advance payment for 11 days for import of gold through the India International Bullion Exchange - IFSC (IIBX), in GIFT City, Gujarat, or any other exchanges authorised by IFSCA. Banks have been asked to carry out all the

due diligence and ensure remittances sent are only for the bona fide import transactions through exchange/s authorised by IFSCA. "The advance remittance for import of gold should not be leveraged in what-so-ever form for importing gold worth more than the advance remittance made," a notification from the central bank said.

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार रामजी यादव और सीता देवी को 31.01.2022 की सचना में वर्णन के अनसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00264487 की राशि रू.18,22,264.30(रूपये अठराह लाख बाईस हजार दो सौ चौसठ और तीस पैसे मात्र) और 31.01.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 21.05.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.रू.18,22,264.30(रूपये अठराह लाख बाईस हजार दो सौ चौसठ और तीस पैसे मात्र) 31.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

नरेला आवासीय योजना के लेआउट योजना में स्थित सेक्टर बी-4. पॉकेट-6 में स्थित छत के अधिकारो के साथ तल मंजिल पर स्वतंत्र डीडीए बिल्ट-अप विस्तार योग्य फ्लैट बियरींग क. 342 जिसका प्लिय क्षेत्र 30 चौ. मीटर्स, नरेला, नई दिल्ली-110040, दिल्ली.

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 21.05.2022 इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतू)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार कल्पना बॅनर्जी और सुधीर कुमार को 22.04.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00346289 की राशि रू.26.96.379.24 (रूपये छब्बीस लाख छियानवे हजार तीन सौ उनासी और चौबीस पैसे मात्र) और 31.03.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23 05 2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.26,96,379.24 (रूपये छब्बीस लाख छियानवे हजार तीन सौ उनासी और चौबीस पैसे मात्र) 31.03.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सेक्टर 16बी, जीएच-01, सुपरटेक इको विलेज-2, टॉवर-बी4, बीसवीं मंजिल, टाइप 2 बीएचके. फ्लॅट क्र.2008 मापित 890 चौ. फिट (सुपर क्षेत्र) वन कवर्ड कार पार्किंग के साथ ,ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर -201303, उत्तरप्रदेश.

दिनांक : 23.05.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : ग्रेटर नोएडा

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ में प्रपत्र सं. एनसीएलटी. ३ए याचिका के विवरण विज्ञापन

[राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के नियम 35 के अनुसार] कंपनी याचिका सं. (सीएए)-13/सीएचडी/एचआरवाई/2022 कंपनी आवेदन सं. (सीएए)-45/सीएचडी/एचआरवाई/2021 से संबद्ध कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के मामले में

पीपलस्टांग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय : ए-10, इन्फोसिटी I, सेक्टर-34, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 सीआईएन : U74910HR2006PTC074078

निम्नलिखित के बीच ठहराव की योजना के मामले में :

... याचिककर्ता कम्पनी-1/डीमर्ज्ड कम्पनी तथा

टैलेंट हायर्ड-द जॉब स्टोर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय : ए-10, इन्फोसिटी I, सेक्टर-34, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 सीआईएन : U74900HR2012PTC074373

... याचिककर्ता कम्पनी-2/परिणामी कम्पनी याचिका की सचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 15 मार्च, 2022 को पीपलस्ट्रांग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (याचिककर्ता कम्पनी-1/डीमर्ज्ड कम्पनी) तथा टैलेंट हायर्ड-द जॉब स्टोर प्राइवेट लिमिटेड ... याचिककर्ता कम्पनी-2/परिणामी कम्पनी) द्वारा ठहराव की योजना की स्वीकृति प्राप्त करने हेत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका दाखिल की गयी और कथित याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ चण्डीगढ़ के समक्ष 4 जुलाई, 2022 को निर्धारित की गयी है।

उपर्यक्त कंपनी याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ताओं को उनके नीचे उल्लिखित पते पर, उनके या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित, उनके पूरे नाम और पता के साथ उनके इरादे की एक सूचना इस प्रकार भेजनी होगी ताकि याचिकांकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं तक उक्त कंपनी याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले तक पहुंच जाए। जहां वह उक्त कंपनी की याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उक्त कंपनी की याचिका के विरोध में उपयोग किए जाने वाले हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी कंपनी के याचिका की एक प्रति इसके इच्छक व्यक्ति को निर्धारित शल्क के भगतान पर उपलब्ध कराई जायेगी।

> (अभिषेक स्वरूप नाइटा कार्यरत चार्टर्ड एकाउंटेंट

याचिकाकर्ताओं के अधिकत प्रतिनिधि पता : 902 एवं 906, नई दिल्ली हाउस, 27 दिनांक : 26.05.2022 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

**kotak**®

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यांतय : 27 बीक्रेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुली कॉप्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई-400 051

शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 कॉर्पोरेट पहचान सं. L65110MH1985PLC038137)

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी सह बिक्री सचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। रतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) तथा/अथवा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (''प्रतिभृत लेनदार'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिस पर प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, कर्जदार/रों नामतः एफ6 फिनसेवर प्रा. लिमिटेड और एफ6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) और 1. श्री पंकज गोयल, 2. श्रीमती मीन गोयल, 3. श्री

संजय आनंद 4. श्रीमती कविता आनंद, श्री प्रवीण शर्मा, श्रीमती आशा शर्मा, श्रीमती रुचिका गोयल, श्री दीपक गोयल (गारंटर और/या बंधककर्ता) से प्रतिभत लेनदार होने के नाते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के 31 मई, 2018 तक बकाया रु. 21,69,45,301.63/- (रुपये इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख पैंतालीस हजार तीन सौ एक एवं तिरेसठ पैसे मात्र) तथा भुगतान/वसुली की तिथि तक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर अनुबन्धात्मक दर से उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु ई–नीलामी के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर दिनांक 14 जून 2022 को बिक्री की जायेगी। नीलामी हेतु रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण/वर्णन, आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा नीलामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

क्र.	बंधककर्ता /	ई−नीलामी पर रखी अचल∕चल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)
सं.	ओं के नाम		जमा धरोहर राशि रु.
1.	श्री पंकज गोयल एवं श्रीमती मीनू गोयल	कार्यालय निजी सं. 206, माप 3063.9 वर्ग फीट की भूमि का समस्त भाग, सेवा कॉर्पोरेट पार्क/कॉर्पोरेट सूट के द्वितीय तल पर, एम.जी. रोड, राजस्व सम्पदा सिरहौल, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, तथा सीमाएँ : उत्तर : कार्यालय स्थान सं. 205, दक्षिण : कार्यालय स्थान सं. 207, पूर्व : कॉरीडोर, पश्चिम : खुला तथा भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा, कॉमन एरिया, सुविधाएँ एवं धरती से जुड़ी या धरती के साथ जुड़ी किसी चीज से सम्बद्ध सभी भवन, संरचनाएँ, संस्थापन, फिटमेंट, संयन्त्र तथा मशीनरी, यदि कोई हो।	(रुपये चार करोड़ पांच लाख मात्र) रु. 40,50,000/-
2.	श्रीमती मीनू गोयल	कार्यालय स्थान निजी सं. एफएफ 407 का समस्त भाग, चौथी मंजिल, सुपर एरिया 2001.50 वर्ग फीट (कवर्ड एरिया 1300.975 वर्ग फीट) तथा लगभग 199.02 वर्ग फीट सुपर एरिया की खुली बालकनी, एम.जी. रोड के सम्मुख, साथ ही एम.जी. रोड पर ''सेवा कॉर्पोरेट पार्क'' में से अपर बेसमेंट में चार आन्तरिक कार पार्किंग, राजस्व सम्मदा ग्राम सरहौल, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, सीमाएँ : उत्तर : कॉरीडोर, दक्षिण : कार्यालय स्थान इकाई सं. 408, पूर्व : कार्यालय स्थान इकाई 406, पश्चिम : खुला, साथ ही भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा, कॉमन एरिया, सुविधाएँ एवं धरती से जुड़ी या धरती के साथ जुड़ी किसी चीज से सम्बद्ध सभी भवन, संरचनाएँ, संस्थापन, फिटमेंट, संयन्त्र तथा मशीनरी, यदि कोई हो।	बहत्तर लाख मात्र) रु. 27,20,000/- (रुपये सत्ताईस लाख

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विशेषाधिकार तथा सम्भावित क्रेताओं से प्राप्त निवेदन पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उपर्युक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस् 7 जून, 2022 को 3:00 बजे अप. से 04:30 बजे अप. तक की जायेगी।

महत्त्वपर्ण नियम एवं शर्तै:-

- ı. ई–नीलामी केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से 14.06.2022 को संचालित की जायेगी ई-नीलामी 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित संचालित की जाएगी। ई-नीलामी के विवरण हेतु इच्छुक संविदाकार सम्पर्क करें : मैसर्स मैसर्स सी। इंडिया प्रा.लि., 3सरा तल, प्लॉट नं. 58, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा, सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान-98138 87931, ई-मेल : delhi@c1india.com तथा support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नं. +91-124 4302020\2021\2022\2023\2024, सपोत मोबाइल नं. + 91-7291981124/25/26.
- इच्छुक संविदाकार नीलामी विवरण तथा बिक्री के नियम एवं शतौं हेतु बैंक की वेबसाइट : https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं। नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकारों को पोर्टल https://www.bankeauctions.com देखने की सलाह दी जाती है तथा कथि नियम पर्न गर्ने संविद्य प्रक्रिया में भूपा लेने ताले संविद्यक्तमें के लिए सध्यक्तमें होंगी।
- यह निवेदन है कि इच्छुक संविदाकारों को संविदा तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगिन आईडी सृजित करना अनिवार्य है। संविदाएँ 13.06.2022 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर संविदाकार/रों वे केवाईसी दस्तावेजों सहित केवल निर्धारित प्रारूप में जमा/अपलोड की जानी है तथा विधिवत भरे हुए एवं हस्ताक्षरित संविदा दस्तावेज की स्कैन्ड प्रतियाँ एव संविदाकार/रों की केवाईसी मेल द्वारा Viswanadham.akondi@kotak.com तथा vikram.sharma@kotak.com पर भेजी जानी हैं। संविदाकार ई-मेल के विषय खण्ड में ''एफ6 फिनसेवर पा. लिमिटेड तथा एफ6 कमोडिटीज पा. लिमिटेड के खाते में सम्पत्ति की खरीद हेत'' का उल्लेख करेंगे।
- सम्भावित संविदाकार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने तथा ऑनलाइन संविदा प्रक्रिया आदि के लिए मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उपर्युव सम्पर्क नम्बरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
- जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 13 जून, 2022 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा. मम्बर्ड. आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड टांसफर के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी राश जमा किये बिना कोई संविदा स्वतः ही अस्वीकत हो जायेगी। प्रस्तावित संविदाकार द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
- जमा की गयी संविदा राशि आरक्षित मूल्य के बराबर/या अधिक होगी और संविदा प्रक्रिया के दौरान जिन्होंने संविदाएँ जमा कर दी हैं वे रु. 1,00,000/- (रुपर्य
- यदि संविदा ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय उपर्युक्त सम्बन्धित लॉट के टाइमलाइन हेतु स्वतः ही तुरन अगले 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा।
- उपर्युक्त माध्यम से उच्चतम बोली राशि (पहले से प्रदत्त ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा। उच्चतम संविदा राशि का शेष 75% सफल संविदाक को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि प्रदान करने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक द्वारा ऐसे विस्तारित अविध तक जो सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर हो, जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री वसूली के भुगतान की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी सारण से निधारित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने की स्थित में सफल क्रेता दैवी आपदा के लिए कोई
- 10. उच्चतम बोलीदाता को अपने पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र निर्गत होने तक सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा जो सम्पूर्ण नीलामी राशि एवं अन्य आकस्मि व्ययों की वसली के अध्यधीन होगा। बिक्री उस प्रभाव तक ई-नीलामी की शतों एवं नियमों तथा प्रतिभत लेनदार की पष्टि के अध्यधीन होगी।
- ı1. यदि सफल संविदाकार सम्पर्ण संविदा/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जाये और चककर्ता संविदाकार का न तो सम्पत्ति और न ही जमा की गयी राशि पर कोई दावा होगा। अधिकत प्राधिकारी को नीलामी की सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के नियम एवं शतों के तहत उसे उपलब्ध एक या एक से अधिकारों का उपयोग कर की स्वतन्त्रता है।
- 12. उपर्यक्त निर्धारित अवधि के भीतर सम्पर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर अधिकत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे. इसके पश्चात बिक्री परी हो जायेगी औ कोटक महिन्द बैंक लिमिटेड किसी टावे को स्वीकार नहीं करेगा।
- 13. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जायेगा जिस नाम से संविदा जमा की गयी है। संविदा में उल्लिखित व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति व नाम बिक्री प्रमाणपत्र में समाविष्ट/प्रतिस्थापित करने हेतु कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। 14. असफल संविदाकार/रों की ईएमडी राशि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड टांसफर के माध्यम से उनके खातों में बिना किसी ब्या
- के 10 (दस) कार्यकारी दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी। 15. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी संविदा का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा अधिसृचित नीलामी बिक्री को स्थिगित/निरस्त करने
- अधिकार है। संविदा जमा करने के बाद ई-नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की स्थिति में, संविदाकारों द्वारा जमा की गयी ईएमडी बिना ब्याज के वापस क दी जायेगी और संविदा अस्वीकार करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी किसी भी संविदाकार या अन्य पक्षों से निजी संधि द्वारा सम्पत्ति की बिक्री हेत मोल भाव कर सकते हैं।
- . 16. यदि संविदाकार नीलामी में एक से अधिक सम्पत्ति की बोली लगाने का इच्छुक है तो संविदाकार को उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के लि
- 17. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के सर्वोत्तम जानकारी पर कहे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनद इस उदघोषणा में किसी त्रटि. गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- 18. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(4), 11बी तथा 11डी के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को छोड़कर बैंव के संज्ञान में कोई ऋण भार नहीं है। इच्छूक संविदाकारों को स्थानीय प्राधिकरणों के बकायों जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली तथा पानी वे प्रभार एवं अन्य बकाये या कर सहित अन्तरण प्रभार/शुल्क के सम्बन्ध में स्वतन्त्र पूछताछ कर लेने का परामर्श दिया जाता है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, लिएन, ऋण भार अथवा सरकार या किसी अन्य के बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छक संविदाका को सम्पत्ति के दायित्व, एरियर, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के ऋण भार से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है।
- 19. पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी विधिक बकाये/अन्य बकाये क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे। 20. वर्तमान सूचना के तहत नीलामी–सह–बिक्री पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण प्रभार/शुल्क सहित सभी बाह्य प्रभार जैसे निगम कर, रखरखाव/से प्रभार, बिजली एवं पानी के प्रभार तथा अन्य बकाये केवल सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 21. सभी अन्य आकस्मिक प्रभार (वर्तमान नीलामी के तहत सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रतिभृत प्रभार अथवा रखरखाव प्रभार सहित किन्तु सीमित नहीं) बिक्री प्रमाणप जारी होने की तिथि से एकमात्र उच्चतम संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे, जिसे बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से पर्व बैंक को निस्तारित/प्रतिपर्तित करना होग हालाँकि अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक से भविष्य में बिना किसी अनुगामी समायोजन के तर्कपूर्ण एवं उपयुक्त विलम्ब में छूट दी जा सकती है। 22. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार यदि बिक्री वसुली रु. 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) या इससे अधिक की है तो इस
- टीडीएस प्रयोज्य होगा। सफल संविदाकार/क्रेता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में बिक्री मल्य से प्रयोज्य टीडीएस घटायेगा और इसे आयकर विभाग व पास जमा करेगा और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पास टीडीएस जमा करने के प्रमाण का चालन तथा प्रपत्र 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा। 23. यह बिक्री इसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर कठोरता से जायेगी। किन्तु अधिकृत प्राधिकारी को नियम एवं शतौँ में किसी को भी परिवर्तित करने का पूर्ण विशेषाधिकार होगा। संविदाकारों को सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय
- में किसी ऋणभार. उपरजिस्टार कार्यालय तथा राजस्व रिकार्ड एवं निगम रिकार्ड तथा अन्य प्रशासनिक सरकारी रिकार्ड की खोजबीन करने की सलाह दी जात है और वे संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति की प्रकृति तथा विवरण, दशा, किसी ऋणभार, लिएन, प्रभार, विधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। कृपया ध्यान दें कि नीलामी के तहत सम्पत्ति/यों/आस्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के सम्बन्ध में बैंक/अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार कोई गारंटी कोई प्रतिनिधान नहीं देते हैं। बिक्री/नीलामी दृढ़ता से एवं उपचार रहित आधार पर होगी।
- 24. बैंक द्वारा समस्त लागतों. प्रभारों तथा उन पर या उसके अंश पर जो बैंक को स्वीकार्य हो, किये गये व्ययों सहित बकाये विक्रय हेत निर्धारित तिथि को य इससे पूर्व किसी भी समय कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा/उनकी ओर से अदा कर दी जाती है तो आस्ति की नीलामी/बिक्री निरस्त की जा सकती है अधिकत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए यदि अस्वीकार्य प्रतीत हो तो किसी संविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार्य होने पर समस्त संविदाओं क अस्वीकार करने, विलम्बित/निरस्त/स्थगित/अनिरन्तर करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन
- में उसका निर्णय अन्तिम होगा। 25. यह माना जायेगा कि संविदाकार ने विक्रय के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह कथित नियमों एवं शर्तों से बाध्य है।
- 26. संविदाकारों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉवर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बैंक इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर अथवा तकनीकी कारणों य ई-नीलामी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 27. कोटक महिन्द्रा बैंक अथवा इसके कर्मचारी विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति से किसी दावे हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। 28. यह सचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.kotak.com पर भी अपलोड है और इच्छक पार्टियाँ इसे देख भी सकती हैं।
- 29. यदि अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार-पत्र को स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा, इस प्रकार अस्पष्टता दूर हो जायेगी। 30. अधिक विवरण के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी श्री विश्वनाथम एकोंडी (मोबाइल नं. +91–9667221548) अथवा बैंक अधिकारी श्री अजय भार्गव (मोबाः
- नं. +91-9899246151) तथा श्री विपुल दुबे (मोबाइल नं. +91-8377905113) से सम्पर्क कर सकते हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) तथा 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक विक्रय सूचना
- कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज तथा व्ययों सहित देवताओं को पूर्ण भुगतान करने तथा उपर्युक्त बकायों का इस सूचना की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर ''प्रतिभूत आस्ति'' (ऊपर उल्लिखित) की बिक्री उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के

अनुसार कर दी जायेगी। स्थान : दिल्ली अधिकृत प्राधिकार्र कते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड तिथि : 24.05.2022

दिनांक : मई 25, 2022

### ब्रान बायोटैक लिमिटेड

CIN : L74899DL1985PLC022468 पंजीकृत कार्यालयः सी—64, लाजपत नगर—1, दिल्ली—110024

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए एकल लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाख में)

		एकल				
क्र.	विवरण	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	वर्ष समाप्त		
सं.	1993	31.03-2022	31-03-2022	31-03-2021		
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित		
1	परिचालनों से कुल आय	279.88	862.42	3,528.48		
2	कर पश्चात साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि)	63.00	(164.44)	(55.06)		
3	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	63.00	(164.44)	(55.06)		
4	अवधि के लिए कुल समग्र आय	64.75	(157.48)	(46.62)		
	[अवधि के लिए लाभ / (हानि)(कर पश्चात) और अन्य समग्र आय]					
5	इक्विटी शेयर पूंजी	300.03	300.03	300.03		
6	आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	-	-	-		
	को छोड़कर)					
7	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व) (वार्षिकीकृत नहीं):					
	(रु. 10 / — प्रत्येक के)	-	-	-		
	(ए) मूल (रु.)	2.16	(5.25)	(1.55)		
	(बी) तरल (रु.)	2.16	(5.25)	(1.55)		
8	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के पश्चात) (वार्षिकीकृत नहीं):					
	(रु. 10 / - प्रत्येक के)					
	(ए) मूल (रु.)	2.16	(5.25)	(1.55)		
	(बी) तरल (रु.)	2.16	(5.25)	(1.55)		
नोट	नोटः					

- . ऊपर सेबी (सचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली. 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.brawnbiotech.com) पर उपलब्ध है। उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 25.05.2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए
- वित्तीय परिणाम लागू सीमा तक कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंडियन–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी ने ट्रांजिश तारीख 01 अप्रैल 2016 के साथ 01 अप्रैल 2017 से भारतीय-लेखाकरण मानक को प्रथम बार अपनाया
- तारांच का जारत, 2016 के तांच जा जारत, 2017 से नारताय-लखाकरण मानव की प्रथम बार जनगया। कंपनी प्राथमिक रूप से सिर्फ फार्मार्य्युटिकल्स के व्यवसाय में कार्यरत है और तदनुसार परिचालन खंडों से संबंधित भारतीय—लेखाकरण मानक 108 के अनुसार कोई पृथक प्रतिवेदनीय खंड नहीं है।
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ माह के आंकड़ों के बीच
- . अवधि आंकड़ों के साथ तुलनीय करने के लिए पूर्व वर्ष/अविधयों के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित/ पनर्व्यवस्थित किया गया है। बोर्ड की ओर से व उन्हीं के लिए क्षित ब्रान बायोटैक लिमिटेड

स्थानः दिल्ली दिनांक: 25.05.2022

### आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड (कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC053579)

पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-1-ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307 दूरभाष : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

### अठाईसवीं वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

- एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती कोविद्ध-19 की सर्वव्यापी महामारी के परिपेष्टा में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपर्तों संख्या 14/2020 17/2020 20/2020 02/2021 एवं 21/2021 कम्प्राः दिनांक अप्रैल 08 2020 अप्रैल 13 2020 मई 05 2020 जनवरी 13 2021 एवं दिसम्बर 14, 2021 (संयुक्त रूप में संदर्भित "एमसीए परिपत्र") द्वारा वार्षिक साधारण सभा को विडियो कान्फ्रेसिंग/अन्य आडियो विजुवल माध्यम से सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थित के बिना कराने की अनुमति प्रदान की है। एमसीए परिपन्न, कम्पनीज अधिनियम, 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन ("अधिनियम") एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("लिस्टिंग विनियमन") के अनुसरण में आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड की अठाईसवीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') विडियो कान्फ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा सोमवार, जून 20, 2022 को प्रातः 09.30 बजे करनी तय की गई है, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत दिये गये व्याख्यात्मक विवरणों को निष्पादित किया जायेगा।
- उपरोक्त एमसीए परिपत्र साथ में पठित सेबी परिपत्र दिनांक मई 13, 2022 के अनुसरण में एजीएम की सूचना एवं दिसम्बर 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टानिक प्रतियाँ मई 25, 2022 को सभी सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपाजटरी भागीदारों के पास अंकित हैं, को भेज दी गई है तथा कम्पनी की वेबसाइट <u>www.rsystems.com</u> एवं स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइटों i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> एवं बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध है।
- कट ऑफ तिथि सोमवार, जून 13, 2022 को भौतिक पद्धति अथवा डिमैटरलाइज पद्धति में शेयर्स धारण करने वाले सदस्य अपना वोट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट है, सेन्ट्रल डिपाजटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम पर दे सकते हैं। अठाईसवीं एजीएम में शामिल होने एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग अथवा रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने का तरीका अठाईसवीं एजीएम की सूचना में दिया गया है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि
  - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों पर वोटिंग इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा निष्पादित की जायेगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग गुरूवार, जून 16, 2022 को प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ होगी; रिमोट ई-वोटिंग रविवार, जून 19, 2022 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग मायध्म से (एजीएम से पूर्व) अथवा ई-वोटिंग माध्यम से (एजीएम के दौरान) वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि सोमवार, जून 13, 2022 है;
- वह व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बना हो तथा कट ऑफ तिथि i.e. सोमवार, जून 13, 2022 को कम्पनी के शेयर धारण करता हो, वह लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने के लिए एजीएम की सूचना मे निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि वे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है, वे वोट देने के लिए पुरानी यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- सदस्य नोट करें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त निःशक्त कर दी जायेगी एवं
  - सदस्य द्वारा एक बार वोट करने के उपरान्त वोट को फिर से बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी; जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दे दिया हो वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन
  - फिर से वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे; एजीएम में इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; एवं
- कट ऑफ तिथि को वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजटरी द्वारा बनाये गये लाभदायक
- स्वामी के रजिस्टर में अंकित है केवल वह ही एजीएम में ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का हकदार यदि आपके पास सीडीएसएल के वोटिंग सिस्टम्स से एजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने के सम्बन्ध में कोई पूछताछ अथवा
- समस्या हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल पर लिखकर अथवा 1800 22 55 33 पर काल कर सकते हैं। इलेक्टानिक माध्यम द्वारा वोटिंग के सम्बन्ध में सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक सेन्टल डिपाजटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, पच्चीसवीं मंजिल, मैराथन प्यूटरक्स, मफतलाल मिल कम्पाऊन्ड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई - 400013 को संम्बोधित किया जा सकता है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजकर अथवा 1800 22 55 33 पर काल कर सकते हैं अथवा श्री भास्कर दुबे, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सी- 40, सेक्टर- 59, नौयडा, उ०प्र०- 201 307, को नामित ईमेल आईडी investors@rsystems.com अथवा दूरभाष न० + 91 120 4303566 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- निदेशक मंडल ने मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसियेट्स, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली, के साझेदार श्री देवेश कुमार विशष्ट, उनकी अनुपस्थित में सुश्री प्रियंका को वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए जाँचकर्त्ता नियुक्त किया है।

हता० (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) प्रपत्र सं.आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम 2014 केनियम 30 के अनुसार]

ज्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार के सामने उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, दिल्ली धारा 13 की उप-धारा 4 के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 और उप-धारा (5) के खंड (ए) कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 का **और** 

जून अकादमी प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय होने के मामले में 16/2 एसएफ, यूनिट नंबर 11, सेवक भवन, आर्य समाज रोड. करोलबाग. उत्तर पर्वी दिल्ली-110005

.. भाम जनता को एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में सोमवार, 02 मई, 2022 को आयोजित किया गया था कि कंपनी अपने पंजीकत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है. निवेशक शिकायत फॉर्म भर कर या तं एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर कर सकता है या अपनी आपत्तियों को पंजीकत डाक से भेज सकता है या भेज सकता है। के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर पते बी-2 विंग, दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नर्ड दिल्ली-110003 में क्षेत्रीय निदेशक के प्रति अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हए एक हलफना मे द्वारा यह नोटिस आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर एक प्रति के साथ:

जून अकादमी प्राइवेट लिमिटेड के लिए

uरिशिष्ट्र IV देखें नियम 8(1) कब्चा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशिय असेटस एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क प्रयोग करके कर्जदार **सधीर कमार महाजन और कनिका महाजन** को 29.12.2021 की सचना में वर्ण के अनसार कर्ज खाता नं. HHLLAJ00206546 की राशि रू.52.77.320.91 /- (रुपए बावन लाख **सतहत्तर हजार तीन सौ बीस और इक्यानवे पैसे मात्र) और 20.12.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना

ः धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सुचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 19.05.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.52,77,320.91 /- (रुपए बावन लाख**ें **सतहत्त**र **हजार तीन सौ बीस और इक्यानवे पैसे मात्र) के लिए 20.12.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज वे साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

जमीन युनिट नं. 0603 के सभी भाग और खंड, छठ्ठी मंजिल पर, ब्लॉक -04, सुपरटेक ईको विलेज-4, प्लॉट नं. GH-01, सेक्टर -166, ग्रेटर नोएडा, नोएडा -201308, उत्तरप्रदेश, मापित सुपर बिल्ट अप एरिया 1464 स्के.फीट

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि. इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सोनु कुमार और देवेंद्र कुमार मिश्रा (गॅरेंटर)** को **29.12.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00442709 की राशि रू.44,80,722.55 (रूपये चौवालीस लाख अस्सी हजार सात सौ बाईस और पचपन पैसे मात्र) और 20.12.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना

23.05.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है । विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू..44.80.722.55 (रूपये चौवालीस लाख अस्सी **हजार सात सौ बाईस और पचपन पैसे मात्र) 20.12.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ

दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के

तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके

<mark>इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड</mark> के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

सेक्टर 16बी, प्लॉट क्र.जीएच06, सुपरटेक इको विलेज 3, टॉवर-2 के आठवी मंजिल पर युनिट क्र.R025O200802/ फ्लॅट क्र. 0802 जिसका सुपर क्षेत्र 1459 चौ. फिट ,ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश - -201303

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : **23.05.2022** इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

फॉर्म-ए सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन) सैमी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट ऋणी का नाम सैमी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि 20.12.2000 प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित / रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़, दिल्ली पंजीकत है कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी U74899DL2000PLC108936 संख्या /सीमित देयता पहचान संख्या कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान पंजीकत कार्यालय: 803ए, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस नई दिल्ली, दिल्ली-110019, भारत कार्यालय (यदि कोई) का पता कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ 24.05.2022 दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की 20.11.2022 अनुमानित तारीख अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल **श्री कपिल देव तनेजा** पता और पंजीकरण क्रमांक IBBI/IPA-003/IP-N00069/2017-2018/10547 |अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल | 56-सी, बीबी-ब्लॉक, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058 ईमेल आईडी - kapildtaneja@gmail.com पता जो समिति के पास पंजीकृत हो लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल ईमेल आईडी - kapildtaneja@gmail.com 11. दावों के निवेदन की अंतिम तिथि 07.06.2022 12. धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लागू नहीं लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम 13. दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लागू नहीं लेनदारों के अधिंत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) वेब लिंकः लागू नहीं 14. (क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां भौतिक पताः लागू नहीं

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने 24.05.2022 को **सैमी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि.** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

**सैमी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि.** के क्रेडिटर्स को 07.06.2022 को या उससे पहले अपने दावों क सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा। कपिल देव तनेजा

सैमी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आईबीबीआई पंजी नं. IBBI/IPA-003/IP-N00069/2017-18/10547

निधि: 24.05.2022, पताः 56-सी/बीबी, जनक परी, नई दिल्ली-110058 स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

नचना जारी की थी।

दिनांक :19.05.2022

स्थान : नोएडा

हस्ता./-

बृज राज गुप्ता

डीआईएन : 00974969

पंजीकत कार्यालय का पता:

16/2 एसएफ, युनिट नंबर 11, सेवक भवन, आर्य समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली उत्तर पूर्व डीएल-110005

हस्ताक्षर/-सनी तोमर (निदेशक) दीन: 08491148

प्राधिकृत अधिकारी

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड